



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 48-2021/Ext.] CHANDIGARH, MONDAY, MARCH 22, 2021 (CHAITRA 1, 1942 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 22 मार्च, 2021

**संख्या 08/जीएसटी-2-** हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 25 की उपधारा (6घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर तथा हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 20/जीएसटी-2, दिनांक 31 मार्च, 2020 के सिवाय ऐसी बातों, जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई थी या करने का लोप किया गया था, के अधिक्रमण में, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (6ख) या उपधारा (6ग) के उपबंध ऐसे किसी व्यक्ति को लागू नहीं होंगे, जो,—

- (क) भारत का नागरिक नहीं है ; या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या स्थापना ; या
- (ग) स्थानीय प्राधिकारी ; या
- (घ) वैधानिक निकाय ; या
- (ङ) पब्लिक सेक्टर उपक्रम ; या
- (च) उक्त अधिनियम की धारा 25 की उपधारा (9) के उपबन्धों के अधीन पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति ।

अनुराग रस्तोगी,  
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग ।

**HARYANA GOVERNMENT****EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT****Notification**

The 22nd March, 2021

**No. 08/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by Sub-section (6D) of Section 25 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council and in supersession of Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 20/GST-2, dated the 31st March, 2020, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, hereby notifies that the provisions of Sub-section (6B) or Sub-section (6C) of Section 25 of the said Act shall not apply to a person who is,\_\_\_

- (a) not a citizen of India; or
- (b) a Department or establishment of the Central Government or the State Government; or
- (c) a local authority; or
- (d) a statutory body; or
- (e) a Public Sector Undertaking; or
- (f) a person applying for registration under the provisions of Sub-section (9) of Section 25 of the said Act.

ANURAG RASTOGI,  
Additional Chief Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.